संख्या-09/2023/313-58-2023/001-1690535-2023

प्रेषक,

आनन्द कुमार राय,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग,
उत्तर प्रदेश लखनऊ।

उद्यान अनुभाग **लखनऊ : दिनांक 17 फरवरी, 2023**

विषयः- वित्तीय वर्ष 2022-23 में अनुदान सं0-10 के अन्तर्गत राष्ट्रीय औद्यानिक मिशन योजना में भारत सरकार से द्वितीय किस्त के रूप में अवमुक्त केन्द्रांश रू0-1177.10 लाख की धनराशि को अवमुक्त किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-126/बजट/2022-23, दिनांक 07.02.2023 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष-2022-23 में अनुदान सं0-10 के अन्तर्गत भारत सरकार के पत्र संख्या F.N.18-4/2017-MIDH(E) दिनांक 03.02.2023 द्वारा वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए द्वितीय किस्त के रूप में भारत सरकार से रू0-1490.00 लाख की धनराशि केन्द्रांश मद में अवमुक्त की गयी है, जिसमें सामान्य कार्यक्रमों हेतु रू0-1177.10 लाख एवं एस.सी.एस.पी. कार्यक्रमों हेतु रू0-312.90 लाख है। वर्तमान में केन्द्रांश की धनाशि रू0-1177.10 लाख (रूपये ग्यारह करोड़ सतत्तर लाख दस हजार मात्र) को अवमुक्त किये जाने हेतु निम्नलिखित विवरण के अनुसार उल्लिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन अवमुक्त किये जाने की स्वीकृति श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष प्रदान करते हैं:-

नियम व शर्ते / प्रतिबन्धों

1. स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय सुसंगत वित्तीय नियमों एवं प्रक्रिया का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जायेगा।

2. स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय योजना हेतु निर्धारित दिशा-निर्देशों/योजना की गाइडलाइन्स एवं संगत नियमों के अनुसार किया जायेगा।

https://shasanadesh.up.gov.in

3. पुनर्विनियोग हेतु प्रस्तावित बचत की मदों में चालू वित्तीय वर्ष में धनराशि की मांग नहीं की जायेगी।

4. स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय उसी मद पर किया जायेगा, जिस मद के लिए धनराशि स्वीकृत की जा रही है। किसी अन्य मद में न ही इसका व्यय किया जायेगा और न ही एक मद से दूसरें मद में इसका व्यावर्तन किया जायेगा।

5. प्रस्तावित वित्तीय स्वीकृति उपलब्ध बजट प्राविधान की सीमा के अन्तर्गत रहेगी, यह प्रशासकीय विभाग का उत्तरदायित्व होगा।

6. प्रस्ताव में आंकडों की शुद्धता का दायित्व प्रशासीय विभाग का होगा।

7. वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप दिनांक 07 जून, 2022 एवं समय-समय पर निर्गत अन्य सुसंगत शासनादेशों में दिये गये दिशा-निर्देशों/प्राविधानों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

1. स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय भारत सरकार के दिशा निर्देशों/गाइड लाइन्स एवं संगत नियमों के अनुसार किया जायेगा।

2. निदेशक उद्यान द्वारा कोषागार से धनराशि का अंतरण पी.एफ.एम.एस. के माध्यम से किया जायेगा।

3. कोषागार से धनराशि का आहरण/व्याय तभी किया जायेगा जब पात्र लाभार्थियों का चयन कर निदेशक उद्यान द्वारा चयनित लाभार्थियों की सूची विभागीय वेबसाइट पर प्रदर्शित की जायेगी।

4. प्रस्ताव में ऑकड़ों की शुद्धता का दायित्व वित्तद नियंत्रक, उद्यान का होगा।

5. प्रस्तावित वित्तीय स्वीकृति उपलब्ध बजट प्राविधान की सीमा के अन्तर्गत रहेगी, यह वित्त नियंत्रक, उद्यान का उत्तरदायित्व रहेगा।

6. वित्तीय स्वीकृतियाँ जारी करने अथवा धनराशि को विभागाध्यक्ष/नियंत्रक अधिकारी के निवर्तन पर रखे जाने से पूर्व विभाग के स्तर पर की जाने वाली समस्त औपचारिकताओं की पूर्ति अनिवार्यतः सुनिश्चित कर ली जाय। यह भी स्पष्ट किया जाता है कि धनराशि का विभागाध्यक्ष/नियंत्रक अधिकारी के निवर्तन पर रखे जाने मात्र से किसी प्रकार के व्यय करने का प्राधिकार नहीं देता है।

7. जिन मामलों में उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल और वित्तीय नियम संग्रहों तथा स्थायी आदेशों के अन्तर्गत राज्य सरकार/केन्द्र सरकार अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति विभागाध्यक्ष/नियंत्रक अधिकारी द्वारा प्राप्त की जानी आवश्यक हो, उन मामलों में व्यय करने के पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय।

https://shasanadesh.up.nic.in

8. निदेशक उद्यान द्वारा सम्भावित व्यय की फेजिंग विभाग के कार्य की प्रकृति एवं अवसर के अनुसार कर लें।

9. विभागाध्यक्षों/अन्य नियंत्रक अधिकारियों द्वारा बजट आवंटन में इस बात का स्पष्ट रूप से उल्लेख किया जाय कि आहरण एवं वितरण अधिकारियों द्वारा कोषागार से धनराशि का आहरण तत्काल आवश्यकता होने पर ही किया जाय।

10. कोषागार से एक मुश्त धनराशि का आहरण न किया जाय, क्योंकि धनराशि के एकमुश्त आहरण से राज्य के कैश मैनेजमेंट पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है।

11. व्यय प्रबन्धन एवं शासकीय व्यय में मितव्ययिता के सम्बन्ध में वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों का विशेष रूप से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

12. धनराशि के आहरण एवं व्यय के दौरान वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्यात-13/2022/बी-1-454/दस-2022-231/2022, दिनांकः 07.06.2022 में दिये गये दिशा-निर्देशों का अनुपालन अनिवार्य रूप से सुनिश्चित किया जायेगा।

13. केन्द्रीय योजनाओं को ट्रेजरी के माध्यम से चलाये जाने के निर्णय के फलस्वरूप संदर्भित योजनान्तर्गत भारत सरकार द्वारा गत वर्ष संशोधित नवीन पैटर्न के अनुसार केन्द्रांश व राज्यांश के क्रमशः 60: 40 प्रतिशत के अनुपात में वर्तमान वित्तीय वर्ष 2021-22 में धनराशि व्यय की जायेगी। अतएव भारत सरकार से कार्ययोजना के अनुमोदन तथा केन्द्रांश की धनराशि की स्वीकृति निर्गत हो जाने की स्थिति में आवश्यकतानुसार आहरण की कार्यवाही की जाय।

14. प्रस्तर-13 में दी गयी शर्त के अनुसार नियमानुसार केन्द्रांश/राज्यांश की धनराशि का व्यय, भारत सरकार, कृषि मंत्रालय के निर्देशानुसार एवं राज्य सरकार के निहित प्राविधानों के तहत किया जायेगा तथा वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्यात-13/2022/बी-1-454/दस-2022-231/2022, दिनांकः 07.06.2022 में निहित निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

15. बजट में प्राविधानित धनराशि का आवंटन एवं आवंटित/वितरित धनराशि के समक्ष किये गये व्यय पर नियन्त्रण के संबंध में वित्त विभाग के शासनादेश संख्या-बी-1-1195/ दस-16/94 दिनांक 06 जून, 1994 द्वारा निर्गत निर्देशों का कड़ाई के साथ अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।

16. उक्त प्रस्तर में उल्लिखित शर्तो का अनुपालन विभाग में कार्यरत जनपदीय अधिकारी/वित्त नियन्त्रक, उद्यान विभाग द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा। यदि निर्धारित शर्तो में किसी प्रकार का विचलन हो तो वित्त नियन्त्रक, उद्यान का दायित्व होगा कि उनके द्वारा मामले को पूर्ण विवरण सहित सूचना शासन/वित्त विभाग को तत्काल दिया जाय।

https://shasanadesh.up.gov.in

17. यदि विभाग द्वारा भारत सरकार/शासन द्वारा निर्धारित शर्तो का विचलन किया जाता है तो उसके लिए मिशन निदेशक उद्यान तथा वित्त नियन्त्रक, उद्यान विभाग एवं सम्बन्धित जनपद के जिला उद्यान अधिकारी/अधीक्षक, राजकीय उद्यान सीधे उत्तरदायी होंगे।

18. वित्त लेखा अनुभाग-1 के शासनादेश दिनांक 29 मई, 2012 द्वारा समस्त भुगतान एन.ई.एफ.टी./आर.टी.जी.एस. के माध्यम से इलेक्ट्रानिकली लाभार्थी के खाते में सीधे क्रेडिट किए जाने के निर्देश दिए गए है, अतः उक्त स्वीकृत धनराशि का भुगतान तदनुसार सुनिश्चित किया जाए।

19. अप्रयुक्त धनराशि शासन को यथासमय समर्पित की जायेगी।

2- इस संबंध में होने वाला व्यय

लेखाशीर्ष: 2401001190101 (राष्ट्रीय औद्यानिक मिशन योजना (के. 60/ रा. 40-के.))

	अनुदान संख्या	लेखा शीर्षक	मानक मद	स्वीकृत धनराशि
1	010	2401001190101 राष्ट्रीय औद्यानिक मिशन योजना (के. 60/ रा. 40-के.)	08 कार्यालय व्यय	1,50,000 (रुपये एक लाख पचास हजार मात्र)
2	010	2401001190101 राष्ट्रीय औद्यानिक मिशन योजना (के. 60/ रा. 40-के.)	11 लेखन सामग्री और फार्मों की छपाई	3,00,000 (रुपये तीन लाख मात्र)
3	010	2401001190101 राष्ट्रीय औद्यानिक मिशन योजना (के. 60/ रा. 40-के.)	15 गाड़ियों का अनुरक्षण और पेट्रोल आदि की खरीद	15,00,000 (रुपये पंद्रह लाख मात्र)
4	010	2401001190101 राष्ट्रीय औद्यानिक मिशन योजना (के. 60/ रा.	27 सब्सिडी	10,93,17,000 (रुपये दस करोड़ तिरानवे लाख सत्रह हजार मात्र)

https://shasanadesh.up.gov.in

		40-के.)		
5	010	2401001190101 राष्ट्रीय औद्यानिक मिशन योजना (के. 60/ रा. 40-के.)	44 प्रशिक्षण हेतु यात्रा एवं अन्य प्रासंगिक व्यय	46,43,000 (रुपये छियालीस लाख तैंतालीस हजार मात्र)
6	010	2401001190101 राष्ट्रीय औद्यानिक मिशन योजना (के. 60/ रा. 40-के.)	58 आउट सोर्सिंग सेवाओं हेतु भुगतान	18,00,000 (रुपये अठारह लाख मात्र)
	कुल			**11,77,10,000** **(रुपये ग्यारह करोड़ सतहत्तर लाख दस हजार मात्र)**
महायोग				11,77,10,000 (रुपये ग्यारह करोड़ सतहत्तर लाख दस हजार मात्र)

के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश कंप्यूटर द्वारा उत्पन्न संख्या E-1-428-X-2022-23-दिनांक:15-2-2023 मे प्राप्त वित्त विभाग की सहमति से निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

(आनन्द कुमार राय)
संयुक्त सचिव।

संख्या- 09/2023/313-58-2023/001-1690535-2023, तद् दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- सचिव भारत सरकार कृषि मंत्रालय कृषि एवं सहकारिता विभाग कृषि भवन नई दिल्ली को भारत सरकार के पत्र सं0-18-4/2017-एम.आई.डी.एच.(ई), दिनांक 03.02.2023 के संदर्भ में।

https://sbasandesh.up.gov.in

2- महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश प्रयागराज।

3- महालेखाकार, लेखा परीक्षक, प्रथम/द्वितीय उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।

4- वित्त नियंत्रक, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण, निदेशालय, लखनऊ।

5- निदेशक, कृषि विभाग, कृषि भवन, लखनऊ।

6- समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश-द्वारा निदेशक।

7- समस्त मण्डलीय उप निदेशक, उद्यान, उत्तर प्रदेश-द्वारा निदेशक।

8- समस्त कोषाधिकारी, उत्तर प्रदेश-द्वारा निदेशक।

9- समस्त जिला उद्यान अधिकारी/अधीक्षक, राजकीय उद्यान/आलू एवं शाकभाजी विकास अधिकारी, उत्तर प्रदेश-द्वारा निदेशक।

10- वित्त (व्यय नियन्त्रण) अनुभाग-1, उत्तर प्रदेश शासन।

11- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1, उत्तर प्रदेश शासन।

12- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(आनन्द कुमार राय)
संयुक्त सचिव।

https://shasanadesh.up.gov.in